2016 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन ।
3. धारा 4 का संशोधन ।
4. धारा 4–ख का संशोधन ।
5. धारा 4–ङ का संशोधन ।
6. धारा 6 का संशोधन ।
7. धारा 6–क का संशोधन ।
8. धारा 6–ख का संशोधन ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016

(विधानसभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में, "**तीस हजार**" शब्दों के स्थान पर "**पचपन हजार**" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में, "**एक हजार पांच सौ**" शब्दों के स्थान पर "**एक हजार आठ सौ**" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4–ख का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4–ख में,—

(क) "**साठ हजार**" शब्दों के स्थान पर "**नब्बे हजार**" शब्द रखे जाएंगे। ;

(ख) उपधारा (2) में, "**दस हजार**" शब्दों के स्थान पर "**तीस हजार**" शब्द रखे जाएंगे। ; और

(ग) उपधारा (3) में, "**बारह हजार**" शब्दों के स्थान पर "**पंद्रह हजार**" शब्द रखे जाएंगें।

धारा 4–ङ का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 4–ङ की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :–

"(2) प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य, जिसने गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त की है और ऐसे अग्रिम की सम्पूर्ण राशी का, उस पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया है, द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम स्वरूप ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस निमित्त गृह निर्माण या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए या पुराने मकान की मरम्मत करने के लिए बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।"।

धारा 6 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) उपधारा (1) और द्वितीय परन्तुक में, "**दो लाख**" शब्दों के स्थान पर "**दो लाख पच्चास हजार**" शब्द रखे जाएगें। ; और

(ख) उपधारा (1–क) मे, "**दस हजार**" शब्दों के स्थान पर "**पच्चीस हजार**" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6–क का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6–क में, "**एक लाख**" शब्दों के स्थान पर "**एक लाख पच्चीस हजार**" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6–ख का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 6–ख में,–

(क) उपधारा (1) में "**बाईस**" शब्द के स्थान पर "**अटठाईस**" शब्द रखा जाएगा ; और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, "**पांच सौ**" शब्दों के स्थान पर "**एक हजार**" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों को लोक प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्वि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख–सुविधाओं में संशोधन की लगातार मांग रही है और विधान सभा की सुख–सुविधा समिति ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों में बढ़ौतरी करने की भी सिफारिश की है । इसलिए, सदस्य सुख–सुविधा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने और सदस्यों के वेतन को 30,000/– रूपए से बढ़ाकर 55,000/– रूपए प्रतिमास करने, दैनिक भत्ते को 1500/– रूपए से बढ़ाकर 1800/– रूपए प्रतिदिन करने, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 60,000/– रूपए से बढ़ाकर 90,000/– रूपए करने, कार्यालय भत्ते को 10,000/– रूपए से बढ़ाकर 30,000/– रूपए प्रतिमास करने, कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भत्ते को 12,000/– रूपए से बढ़ाकर 15,000/– रूपए प्रतिमास करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए विद्यमान सीमा को 2,00,000/– रुपए से बढ़ाकर 2,50,000/– रूपए और यात्रा अग्रिम को 10,000/– रूपए से बढ़ाकर 25,000/– रुपए करने का भी विनिश्चय किया गया है। भूतपूर्व–सदस्यों की दशा में, मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सीमा अब 1,00,000/– रुपए के बजाए 1,25,000/– रूपए होगी। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व–सदस्यों की पेंशन को 22,000/– रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 28,000/– रुपए प्रतिमास करने और प्रथम कार्यकाल की अवधि के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को 500/– रूपए से बढ़ाकर 1000/– प्रतिमास करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यो के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला ,
तारीख ...., 2016

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 से 8 के अधिनियमित होने पर प्रतिवर्ष लगभग 13.76 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

---शून्य--

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या जी0ए0डी0–सी– (डी)–5–1/2016)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री ।

(डॉ० बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख......................., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

3. वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता.— इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से या उसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से या यदि ऐसी घोषणा रिक्ति होने से पहले की गई हो, तो रिक्ति होने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी बाद में हो, प्रति मास तीस हजार रूपए की दर से वेतन और पांच हजार रूपए की दर से प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(2) XXX XXX XXX XXX
(3) XXX XXX XXX XXX

(4) इसमें इससे पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को किसी ऐसी अवधि के बारे में, जिसके दौरान वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिक निरोध में था, कोई वेतन और प्रतिकरात्मक भत्ता संदत्त नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.– इस प्रयोजन के लिए विधिक निरोध के अन्तर्गत किसी निवारक निरोध से सम्बन्धित विधि के अधीन निरोध नहीं है ।

4. यात्रा भत्ता.– (1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अधिरोपित की जाए, प्रत्येक सदस्य को संदत्त किया जाएगा:–

(i) ऐसा यात्रा भत्ता जो विहित किया जाए;

(ii) सभा या समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहने में प्रत्येक दिन के लिए या अध्यक्ष के आदेशाधीन सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर किसी अन्य काम–काज के लिए की गई यात्राओं के बारे में प्रतिदिन एक हजार पांच सौ रूपए की दर से विराम भत्ता:

परन्तु यदि किसी सदस्य को तत्समय प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अधीन सभा के अधिवेशन या अधिवेशनों से अनुपस्थित रहने के लिए आदेश किया गया है तो यह अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए ऐसा भत्ता प्राप्त करने का हकदार नही होगा :

परन्तु यह और कि सदस्यः–

(क) जहां वह सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक या दो दिन पूर्व पहुँचता है, या ऐसे अधिवेशन के स्थान से, उस तारीख से, जिसको सभा अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी जाती है, ठीक एक या दो दिन पश्चात् प्रस्थान करता है वहां, यथास्थिति, पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक या दो दिन के लिए; और

(ख) जहां वह किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसे अधिवेशन की तारीख से एक दिन पूर्व पहुंचता है, या ऐसे अधिवेशन के स्थान से ऐसे अधिवेशन की समाप्ति से ठीक एक दिन पश्चात् प्रस्थान करता है, वहां पहुंचने और प्रस्थान करने के ऐसे एक दिन के लिए;

विराम भत्ते का हकदार भी होगा ।

(iii) जब कोई सदस्य अपने निवास के प्रायिक स्थान से अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान करता है और अधिवेशन के पश्चात् वहां वापस लौटता है, तब सदस्य के निवास के प्रायिक स्थान से प्रस्थान के दिन के लिए पांच रूपए की दर से आनुशंगिक भत्ता और प्रायिक स्थान पर पहुंचने के दिन के लिए पांच रूपए की दर से अनुशंगिक भत्ते का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरणः–(1).–सदस्य को ऐसे पहुंचने या ऐसे प्रस्थान के प्रत्येक दिन के लिए विराम–भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो ।

स्पष्टीकरणः– (2).–सभा या समिति के दो अनुक्रमिक अधिवेशनों के बीच चार दिन से कम का विराम ऐसे सदस्य के लिए जो ऐसे विराम के दौरान ऐसे अधिवेशन के स्थान से प्रस्थान नहीं करता है, उपस्थिति का दिन या के दिन समझे जाएंगे :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सदस्य को यात्रा भत्ते या विराम भत्ते का हकदार नहीं बनाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति उस स्थान से, जिस पर उसकी उपस्थिति ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित है, पांच मील के भीतर किसी स्थान पर सामान्यतः निवास या कारबार करता है ।

(2) जो सदस्य प्रतिदिन एक हजार पांच सौ रूपए की दर से विराम–भत्ता जैसा कि उप धारा (1) में उपबन्धित है, नहीं लेना चाहता है, वह 25 जनवरी, 1971 से वर्तमान सभा के विघटन तक कर्त्तव्य पर निवास की किसी अवधि के लिए प्रतिदिन पच्चीस रूपए की दर से भत्ते का हकदार होगा और ऐसी दशा में उप–धारा (1) के खण्ड (2) और (3) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण:– (1).– इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए 'कर्त्तव्य पर निवास की अवधि, से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान कोई सदस्य ऐसे स्थान पर जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां ऐसे सदस्य के रूप में उसके कर्त्तव्य से सम्बन्धित कोई अन्य काम–काज किया जाता है ऐसे अधिवेशन या बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या ऐसा अन्य काम–काज करने के प्रयोजन के लिए निवास करता है, और इसके अन्तर्गत उस सदस्य के मामले के सिवाय जो ऐसे स्थान पर निवास करता है जहां सभा का अधिवेशन या समिति की बैठक होती है या जहां उस रूप में उसके कर्त्तव्य से सम्बन्धि कोई अन्य काम–काज किया जाता है :–

(1) सभा के अधिवेशन की दशा में, अधिवेशन का प्रारम्भ से ठीक पूर्व तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और उस तारीख से, जिसको सभा के अनिश्चितकाल के लिए या सात दिन से अधिक की अवधि के लिए स्थगित किया जाता है, ठीक उत्तरवर्ती तीन दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि; और

(2) समिति की बैठक या किसी अन्य काम–काज की दशा में समिति के काम–काज या अन्य काम–काज के प्रारम्भ से ठीक पूर्व दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि और समिति के काम–काज या अन्य काम–काज के समाप्त होने से ठीक पश्चात् दो दिन से अनधिक की ऐसे निवास की अवधि ।

स्पष्टीकरण:– (2).–सदस्य को कर्त्तव्य पर निवास के लिए प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा, चाहे पहुंचने और प्रस्थान का समय कुछ भी हो ।

4–ख. निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय और कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भत्ता:–(1) प्रत्येक सदस्य को साठ हजार रूपए प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी संदत्त किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य को दस हजार रूपए की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक सदस्य को, को–टर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु बारह हजार रूपए प्रतिमास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

4–ङ.– भूतपूर्व सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम.–(1) ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने सदस्य के रूप में गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त नहीं की है, गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए, ऐसी शर्तों के अध्याधीन, जैसी इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में तीन लाख रुपए संदत्त किए जाएंगे और यह अग्रिम यथास्थिति, उनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन से पाँच वर्षो के भीतर वसूल किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक सदस्य, जिसने उप–धारा (1) के अधीन गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त की है और ऐसे अग्रिम की सम्पूर्ण राशि का, उस पर ब्याज सहित, प्रतिसंदाय कर दिया है, द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिमस्वरूप ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस निमित्त गृह निर्माण या बने बनाएं गृह का क्रय करने के लिए बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

6– रेलवे द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निःशुलक यात्रा.– (1) प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग या वायु मार्ग या राज्य परिवहन उपकम द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो लाख रूपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर, होगा ।

परन्तु सदस्य जब सरकारी प्रवास पर हो तो वह वायुमार्ग या रेलमार्ग या लोक परिवहन द्वारा यात्रा के दौरान उसके कुटुम्ब द्वारा या उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा में उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :

परन्तु यह और कि रेलमार्ग या वायुमार्ग या लोक परिवहन द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम वित्तीय वर्ष में दो लाख रूपए से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.– इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुमब'' से पति या पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा तथा अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री भी इसके अन्तर्गत है ।

(1–क) प्रत्येक सदस्य, उसके अपने अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए दस हजार रूपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा और ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में बसूल किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के अधीन, कुल रकम का अवधारण कराने के लिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 या हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10–क के अधीन उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग या वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत रकम को हिसाब में लिया जाएगा ।

(1–ख) दो निःशुल्क अन्तरणीय पास प्रदान किए जाएंगे जो उसकी और उसकी पत्नी या उसकी देख–भाल और सहायता के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की किसी लोक सेवा यान में किराया और उस पर के यात्री कर का संदाए किए बिना यात्रा करने का हकदार बनाएगा ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन सदस्यों को जारी की गई कूपन पुस्तकें और निःशुल्क पास उसकी पदावधि के लिए विधिमान्य होंगे और ऐसी अवधि के अवसान पर वे उसके द्वारा सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अभ्यर्पित कर दिए जाएंगे ।

(3) इस धारा की किसी बात का ऐसा अर्थ नही लगाया जाएगा जिस से कोई सदस्य किसी ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार न रहे जिसका वह अन्यथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन हकदार है।

6–क. भूतपूर्व सदस्यों को रेल द्वारा या वायुमार्ग द्वारा अथवा राज्य परिवहन उपकम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा.– प्रत्येक पूर्व सदस्य को अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल या सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेल मार्ग द्वारा या वायु मार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रूपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :

परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी ।

6–ख. पेन्शन – (1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने––

(क) विधान सभा के सदस्य, या

(ख) क्षेत्रीय परिषद् सदस्य, या

(ग) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः क्षेत्रीय परिषद् के सदस्य, या

(घ) (1) पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के तत्कालीन राज्य की विधान सभा; या

(2) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या

(3) तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा, या

(4) भागतः एक और भागतः दूसरी के सदस्य जिन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए पूर्ण क्षेत्र या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया है,

(ङ) भागतः विधान सभा के सदस्य और भागतः, यथास्थिति, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य क्षेत्र के तत्कालीन राज्य या तत्कालीन पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रतिमास बाईस हजार रूपए पेन्शन संदत्त की जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने प्रथम अवधि से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त रूप से सेवा की है, वहां उसे प्रथम अवधि से अधिक अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रूपए प्रतिमास की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए वर्ष के किसी भाग को एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन संदेय अतिरिक्त पेन्शन के अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करते समय, हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र) में समाविष्ट निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की दशा में, जहां निर्वाचन आम चुनाव के लिए नियत दिन के पश्चात्वर्ती किसी भी दिन करवाए जाते हैं या करवाए जा सकेंगे, उस तारीख, जिसको आम चुनाव में विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और वह तारीख जिसको, हिमवाधित (असमरूप क्षेत्र) से निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, की मध्यवर्ती अवधि की भी गणना की जाएगी ।

स्पष्टीकरण.– पद "हिमवाधित क्षेत्र (असमरूप क्षेत्र) से किन्नौर और लाहौल एवं स्पिती जिले तथा चम्बा जिला में तहसील पांगी और भरमौर अभिप्रेत है ।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन का हकदार कोई व्यक्ति–

(i) राष्ट्रपति या उप–राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाता है; या

(ii) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा (3) के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य बन जाता है; या

(iii) वेतन पर केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय सरकारया किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम में या स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित या राज्य सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकरण से अन्यथा कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार हो जाता है; तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के लिए जिसके वह ऐसा पद धारण किए रहता है या ऐसा सदस्य बना रहता है, या ऐसे नियोजित है या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार नही होगा:

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति ऐसे पद धारण करने या ऐसा सदस्य रहने या ऐसे नियोजित रहने के लिए संदेय वेतन या जहां ऐसे व्यक्ति को संदेय खण्ड (iii) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक किसी भी दशा में उप–धारा (1) के अधीन उस संदेय पेन्शन से कम है, वह ऐसा व्यक्ति उस उप–धारा के अधीन पेन्शन के रूप में केवल अतिशेष को प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन पाने का हकदार कोई व्यक्ति अन्य पेन्शन पाने का भी हकदार है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अन्य पेन्शन के साथ–साथ उप–धारा (1) के अधीन, पेन्शन प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(4) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति नें मन्त्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 3) में यथा परिभाषित मंत्री के रूम में या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा की है ।

(5) जहां उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन या पेन्शन लेने के हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो :–

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त ; या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो व्यस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त उसकी सन्तान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह पर्यन्त, ऐसे व्यक्ति को यथा अनुज्ञेय पेन्शन के 50 प्रतिशत की दर पर पेन्शन लेने के हकदार होंगे:

परन्तु जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन लेने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे ।

(5–अ) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (1–अ) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु फरवरी, 1989 के सातवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका वहां उसकी पत्नी, पति, अवयस्क संतान या अविवाहित पुत्रियों उप–धारा (5) के अधीन पेंशन लेने का हकदार होगें, मानों कि ऐसा व्यक्ति फरवरी 1989 के सातवें दिन को जीवित था ।

(6) इस धारा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन पेन्शन लेने का हकदार हो गया होता, किन्तु दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वह ऐसी पेन्शन नहीं ले सका, तो–

(i) उसके जीवन काल में या उसके पुनः विवाह करने पर्यन्त उसका पति/पत्नी, या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति का पति/पत्नी नहीं है तो उसकी अवयस्क सन्तान व्यस्कता की आयु प्राप्त करने पर्यन्त और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त,

उस राशि के बराबर पेन्शन जो ऐसे व्यक्ति नें पेन्शन के रूप में प्राप्त की होती, यदि वह दिसम्बर, 1976 के इक्तीसवें दिन को जीवित होता या तीन सौ पचहत्तर रूपए की राशि प्रति मास, इन दोनों में से जो अधिक हो, लेने का हकदार होगा/होगी:

परन्तु इस उप–धारा के अधीन तीन सौ पचहत्तर रूपए की उच्चतर सीमा जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से मार्च, 1988 के इक्तीसवें दिन तक की कालावधि की पेन्शन के लिए लागू नही होगी :

परन्तु यह और कि जहां इस उप–धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेन्शन के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उस पेन्शन को बराबर हिस्सों में लेंगे ।

(7) प्रत्येक व्यक्ति को जो इस धारा के अधीन पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन लेता है या पेन्शन/कुटुम्ब पेंशन लेने का हकदार है, अनुज्ञेय पेन्शन/कुटुम्ब पेन्शन के अतिरक्त, उसी दर से पेन्शन पर मंहगाई राहत संदत्त की जाएगी जो राज्य सरकार के अन्य पेन्शन भोगियों को अनुज्ञेय है ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 12 OF 2016

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 4-B.
5. Amendment of section 4-E.
6. Amendment in section 6.
7. Amendment of section 6-A.
8. Amendment of section 6-B.

Bill No. 12 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follow:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2016. Short title.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words **"thirty thousand"**, the words **"fifty five thousand"** shall be substituted. Amendment of section 3.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words **"one thousand five hundred"**, the words **"one thousand eight hundred"** shall be substituted. Amendment of section 4.

4. In section 4-B of the principal Act,— Amendment of section 4-B.

(a) in sub-section (1), for the words **"sixty thousand"**, the words **"ninety thousand"** shall be substituted. ;

(b) in sub-section (2), for the words **"ten thousand"**, the words **"thirty thousand"** shall be substituted. ; and

(c) in sub-section (3), for the words **"twelve thousand"**, the words **"fifteen thousand"** shall be substituted.

Amendment of section 4-E.

5. In section 4-E of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Each ex-member who has availed the facility of house building advance and has repaid whole amount of such advance with interest thereon, shall be entitled to avail facility of second house building advance by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for construction of house or for the purchase of built-up house or for renovation of old house.".

Amendment of section 6.

6. In section 6 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) and second proviso, for the words **"two lac"**, the words **"two lac fifty thousand"** shall be substituted. ; and

(b) in sub-section (1-A), for the words **"ten thousand"**, the words **"twenty five thousand"** shall be substituted.

Amendment of section 6-A.

7. In section 6-A of the principal Act, for the words **"one lac rupees"**, the words **"one lac twenty five thousand rupees"** shall be subsituted.

Amendment of section 6-B.

8. In section 6-B of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the figures and sign **"22,000"**, the figures and sign **"28,000"** shall be substituted.; and

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the figures **"500"**, the figures **"1000"** shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and amenities and Vidhan Sabha Members Amenities Committee have also recommended to enhance the salary, allowances and other perquisites of the Members of the H.P. Legislative Assembly. As such, it has been decided to accept the recommendations of the Members Amenities Committee and to enhance the salary of Members from Rs. 30,000/- to Rs. 55,000/- per mensem, Daily Allowance from Rs. 1500/- to Rs. 1800/- per day, Constituency Allowance From Rs. 60,000/- to Rs. 90,000/-, Office Allowance from Rs. 10,000/- to Rs. 30,000/- per mensem, Computer/Data Entry Operator Allowance from Rs. 12,000/- to Rs. 15,000/- per mensem. It has also been decided to enhance existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from Rs. 2,00,000/- to Rs. 2,50,000/- and Travelling Advance from Rs. 10,000/- to Rs. 25,000/-. In case of ex-members, now the limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility shall be Rs. 1,25,000/- instead of Rs. 1,00,000/-. It has further been decided to enhance the Pension to ex-member from Rs. 22,000/- to Rs. 28,000/- per mensem and additional pension from Rs. 500/- to Rs. 1000/- per mensem for every year in excess of the period of first term. This has necessitated the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIRBHADRA SINGH),
Chief Minister.

Shimla:
The ...., 2016.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 to 8 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 13.76 crore per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. GAD-C (D)-5-1/2016)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2016, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

(VIRBHADRA SINGH)
Chief Minister.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

Shimla:

The ...., 2016.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) ACT, 1971 (ACT NO. 8 OF 1971) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections:

3 Salaries and Compensatory Allowances.- (1) Subject to the condition herein contained, there shall be paid to each Member a salary at the rate of thirty thousand rupees and compensatory allowance at the rate of five thousand per mensem with effect from the commencement of this Act or from the date on which he is declared duly elected under the Representation of the People Act, 1951(Act No. 43 of 1951), or if such declaration is made before the vacancy occurs, from the date of occurrence of vacancy which is later.

(2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(4) Notwithstanding anything hereinbefore contained no salary and compensatory allowance shall be paid to any member in respect of any period during which he was under legal detention under any law for the time being in force.

Explanation.-- The legal detention for this purpose does not include detention under any law relating to preventive detention.

4. Travelling Allowances.-- (1) subject to conditions and limitations as may be imposed by rules made under this Act, there shall be paid to each member,--

(i) such travelling allowance as may be prescribed;

(ii) a halting allowance at the rate of one thousand five nudered rupees per day for each day of attendance at a meeting of the Assembly or committee or in respect of journeys undertake under the orders of the Speaker for any other business anywhere connected with his duties as a member:

Provided that if a member has been ordered to absent himself from a meeting or meetings of the Assembly under the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Himachal Pradesh Assembly for the time being in force, he shall not be entitled to get allowance for such period of absence:

Provided further that a member shall also entitled to halting allowance,-

(a) where he arrives for attending a meeting of Assembly one or two dates earlier to the date on such meeting, or departs from the place of such meeting one or two days immediately after the date on which the Assembly is adjourning sine die for such one or two days, as the case may be, of arrival and departure; and

(b) where he arrives for attending a meeting of a committee one day earlier to the date of such meeting or departs from the place of such meeting one day immediately after the conclusion of the business of the Committee, for such one day of arrival and departure;

(iii) An incidental allowance at the rate of five rupees for the day of departure from and an incidental allowance at the rate of five rupees for the day of arrival at the usual place of residence of the member when he leaves his usual place of residence to attend a meeting and returns thereto after the meeting.

Explanation-I.-- Halting allowance shall be admissible to a member for each day of such arrival and such departure irrespective of the time of arrival and departure.

Explanation-II.-- A break of less than four days between two successive meetings of the Assembly or Committee shall be deemed to be a day or days of attendance for a member, who does not leave the place of the meeting during such break:

Provided that nothing in this section shall entitle any member to travelling allowance if such person ordinarily resides or carries on business at any place within eight kilometres of the place at which his attendance is required in connection with his duties as member.

(2) A member who does not wish to draw the halting allowance at the rate of one thousand per day as provided in sub-section (1), shall be entitled an allowance at rate of twenty-five rupees for each day during any period residence on duty from the 25th day of January, 1971, till the dissolution of the existing Assembly and in such case the provisions of clauses (ii) and (iii) of sub-section shall not apply.

Explanation-I.— For this purpose of this sub-section "period of residence on duty" means the period during which a member resides at a place where a session of the Assembly or a sitting of the Committee is held or where any other business connected with his duties as such member is transacted, for the purpose of attending such session or sitting or for the purpose of attending to such other business, and includes, except in the case of a member who ordinarily resides at a place

where a session of the Assembly or a sitting of the Committee is held or where any other business connected with his duties as such is transacted--

(i) in case of a session of the Assembly, a period of such residence, not exceeding three days immediately preceding the commencement of the session and a period of such residence, not exceeding three days, immediately succeeding the date on which the Assembly is adjourned sine die or for a period exceeding seven days; and

(ii) in the case of a Committee or any other business, a period of such residence, not exceeding two days immediately preceding the commencement of the business of the Committee or other business and a period of such residence, not exceeding two days, immediately succeeding the conclusion of the business of the Committee or other business.

Explanation-II.-- Daily allowance shall be admissible to a member for each day of residence on duty irrespective of the time of arrival and departure.

4-B. Constituency, Office and Computer/Data Entry Operator allowance.-- (1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of sixty thousand rupees per mensem.

(2) There shall be paid to each member an office allowance at the rate of ten thousand per mensem.

(3) There shall be paid to each member an allowance at the rate of twelve thousand rupees per mensem to engage Computer/Data Engry Operator on co-terminus basis.

4-E. House building advance to ex-members.-- (1) There may be paid to such ex-members, who have not availed the facility of house building advance as a member, by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf for the construction of a house or for the purchase of a built up house.

(2) Each ex-member, who has availed the facility of house building advance under sub-section (1) and has repaid whole amount of such advance with interest thereon, shall be entitled to avail facility of second house building advance, by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for the construction of house or for the purchase of built up house.

6. Free transit by railway or by air or by State Transport undertaking.- (1) Each Member during the term of his office shall be entitled to travel at any time by railway or by air or

by State transport Undertaking by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of two lac rupees in each financial year.

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Provided further that the member while on official tour shall also be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred by his (family) or any other person accompanying him to look after and assist him during travel by air or by rail or by public transport on production of tickets for such journey performed:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air (or by public transport) in a financial year shall not exceed two lac rupees.

Explanation- For the purpose of this sub-section, expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(1-A) Each Member shall be entitled for an advance not exceeding rupees ten thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation- For determining the aggregate amount so incurred on such journey under this section, the amount so incurred in the same financial year by journey performed by railway or air under section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, or under section 10-A of Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 shall be taken into account.

(1-B) Each Member shall be provided with two free non-transferable passes which shall entitle him and his wife or any other person accompanying him to look after and assist him to travel at any time without payment or fare and passenger tax thereon by any public vehicle of the Himachal Road Transport Corporation.

(2) '(XXXXXX) free passes issued to a member under sub-section (1) shall be valid for the terms of his office and on the expiration of such term these shall be surrendered by him to the Secretary of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

(3) Nothing in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowance to which he otherwise entitled under the provisions of this Act or rules made there under.

6-A. Free transit facility by railway or by air or by State Transport Under taking to ex-members- Each ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within India alongwith his spouse or any person accompanying him to lookafter and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of one lac rupees in each financial year:

Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking in a financial year shall not exceed one lac rupees.

6-B Pension.-(1) There shall be paid a pension of Rs.22,000 per mensem to every person who has served for any period up to five years as,--

(a) a member of Assembly; or

(b) a member of the Territorial Council; or

(c) partly as a member of the Assembly and partly as member of the Territorial Council; or

(d) a member of –

(i) the Legislative Assembly of the erstwhile State of Patiala and east Punjab States Union; or

(ii) the Legislative Assembly of the erstwhile Punjab State; or

(iii) the Legislative Council of the erstwhile Punjab State; or

(iv) partly as a member of the one and partly as a member of the other;

who has been elected or nominated to represent the whole or the part of the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab re-organization Act, 1966.

[XXXXX]

(e) partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Legislative Assembly of erstwhile State of Patiala and East Punjab State Union or the Legislative Assembly/ Council of the erstwhile State of Punjab, as the case may be:

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding first term, there shall be paid to him an additional pension of Rs. 500/- per mensem for every year in excess of period of the first term, provided that for this purpose, the fraction of a year shall be counted as one year:

Provided further that while reckoning the period for the determination of the additional pension payable under the preceding proviso in the case of members elected from the constituencies comprised of Snow-bound area (non-Synchronous area) where the elections are or may be conducted on any day subsequent to the day fixed for the general elections, the period intervening the date on which the oath is administered to the members elected to the Assembly in the general elections and the date on which the oath is administered to the members elected from the Snow-bound area (non-Synchronous area) shall also be counted.

Explanation.— The expression "Snow bound area (non-Synchronous area)" means the area comprising Kinnaur, Lahaul and Spiti district and Pangi and Bharmaur tehsils in Chamba district.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1),-

(i) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the Office of the Governor of any State or Administrator of any Union Territory; or

(ii) becomes a Member of any Legislative Assembly of a State or a Union Territory or Legislative Council of State or the Metropolitan Council of Delhi constituted under section 3 of the Delhi Administration Act, 1966; or

(iii) is employed on a salary under the Central Government or any State Government or in a Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from State Government, Corporations or local authority;

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (1) for the period during which he continues to hold such office or as such member or is so employed or continues to be entitled to such remuneration:

Provided that where the salary payable to such person for holding such office or being such member or so employed or where the remuneration referred to in clause (iii) payable to such person is in either case less than the pension payable to him under sub-section (1) such person shall be entitled only to receive the balance as pension under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such other pension.

(4) In computing the number of years for the purposes of sub-section (1), the period during which a person has served as a minister, as defined in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 or the Speaker or the Deputy Speaker of the Assembly or the Chairman of the Territorial Council shall also be taken into account.

(5) Where any person who draws pension or is entitled to draw pension, under sub-section (1), dies,-

(i) his /her spouse during his her life time or till he/she remarries; or

(ii) if such person leaves no spouse his minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension at the rate of 50% of pension as admissible to such person :

Provided that where more than one person becomes entitled for pension under this sub-section all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(5-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section where a person would have been entitled to draw pension under sub-section (1) or sub-section (1-A) of this section but for his death before the 7th day of February, 1989 he could not draw such pension, his spouse, minor children or un-married daughters shall be entitled to draw pension under sub-section (5), as if such person was alive on the 7th day of February, 1989.

(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, where a person would have been entitled to draw pension, under sub-section (1) but for his death before the 31st day of December, 1976 he could not draw such pension—

(i) his/her spouse during his/her life time or till he/she remarries; or

(ii) if such a person leaves no spouse, his/her minor children till they attain the age of majority and in case of daughters till they get married;

shall be entitled to draw pension equal to a sum which would have been drawn by such a person as pension under this section as if such person was alive on the 31st day of December, 1976 or the sum of rupees three hundred and seventy five per mensem, whichever is higher:

Provided that the upper limit of rupees three hundred and seventy five shall not apply for the pension under this sub-section for the period from the 24th day of January, 1986 to the 31st day of March, 1988:

Provided further that where more than one person becomes entitled to pension under this sub-section, all such persons shall draw the said pension in equal shares.

(7) Every person who draws pension/family pension or is entitled to draw pension/ family pension, shall, in addition to the pension/family pension admissible under this section, be paid dearness relief in pension at the same rates as is admissible to other pensioners of the State Government.

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला–39–जुड / 2016–6–4–2016—250.